झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–465 वर्ष 2017

हरि शंकर शर्मा, पे0–स्वर्गीय लक्ष्मी मिस्त्री, निवासी–मकान संख्या 31, रोड संख्या 2, बिरसा नगर, रांची, डाकघर एवं थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची, झारखण्ड

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड, रांची जो प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची में कार्यरत।
3. जिला शिक्षा अधीक्षक, खुंटी, डाकघर, थाना और जिला–खुंटी।
4. प्रखंड शिक्षा विस्तार अधिकारी, कर्रा, खुंटी, डाकघर एवं थाना–कर्रा, जिला–खुंटी।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री साकेत कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री कुमार राहुल कमलेश, एस0सी0–II का जे0सी0

02 / 06.02.2017 याचिकाकर्ता जिसने डब्ल्यू0पी0(एस0) सं0 2522 / 2016 में इस अदालत का दरवाजा, वेतन सुरक्षा और वरिष्ठता की मांग करते हुए खटखटाया था को रिट कोर्ट ने दिनांक 19.07.2006 के आदेश द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची से संपर्क करने के लिए निर्देश दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने अपने दिनांक 01.03.2013

के आदेश में याचिकाकर्ता के दावे का न्यायनिर्णयन नहीं किया और केवल यह कहकर उसके आवेदन का निपटारा किया कि वह सक्षम प्राधिकारी नहीं है। खुंटी में एक नए जिले के निर्माण के कारण जिला शिक्षा अधीक्षक, खुंटी ने ऐसा कहा था जो पहले जिला रांची का हिस्सा था। याचिकाकर्ता फिर से डब्ल्यू0पी0(एस0) सं0 370/2015 में इस अदालत में आया, जिसे दिनांक 26.10.2015 को जिला शिक्षा अधीक्षक, खुंटी को मामले में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए निपटाया गया। रिट कोर्ट के आदेश के अनुसार, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) द्वारा दिनांक 15.03.2016 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

2. याचिकाकर्ता का दावा दिनांक 21.12.1982 के पत्र पर आधारित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने क्लॉज (ट) का उल्लेख करते हुए कहा कि नए स्कूल में शामिल होने वाले शिक्षक वेतन सुरक्षा और वरिष्ठता के हकदार हैं।

3. दिनांक 21.12.1982 के पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिए गए प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। क्लॉज (ट) निम्नानुसार हैः

''(ट) यदि पुराने विद्यालय के शिक्षक, सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर नये विद्यालयों में जाते हैं तो उन्हें वेतन की सुरक्षा एवं सेवा की वरीयता का लाभ देय होगा।''

4. याचिकाकर्ता जिसे शुरू में दिनांक 01.09.1986 को समस्त संत मिडिल स्कूल, कचबारी, कर्रा में नियुक्त किया गया था, को बाद में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा एक

सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, जरियागढ़, कर्रा में नियुक्ति के लिए चुना गया था। याचिकाकर्ता ने नई नियुक्ति दिनांक 07.01.2004 को ग्रहण किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने समस्त संत मिडिल स्कूल के सचिव द्वारा जारी कार्यमुक्ति पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.09.1986 से लगातार प्राथमिक शिक्षक के रूप में काम किया और ऐसा करते हुए, वह वेतन सुरक्षा और वरिष्ठता का हकदार है। मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। याचिकाकर्ता के मामले में दिनांक 21.12.1982 के पत्र लागू नहीं हैं, जो पहले एक अल्पसंख्यक संचालित स्कूल में नियुक्त किया गया था जो स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा अपने अधीन नहीं लिया गया था।

5. दिनांक 15.03.2016 के आक्षेपित आदेश कानून के किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)